न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/336

1. लडडू पुत्र भूरा
2. सुखपाल पुत्र सुरजन
3. सियाराम पुत्र सुरजन
4. मियाराम पुत्र सुरजन
5. नटी बाई पुत्री सुरजन
6. छोटा बाई पुत्री सुरजन मृतक जर्ये कायम मुकाम
   6/1–ममता बाई पुत्री राधेश्याम
   6/2– मुकेशी बाई पुत्री राधेश्याम
7. नूरका बेवा सुरजन
8. रामनिवास पुत्र प्रहलाद मृतक जरिये कायम मुकाम
   8/1–मुकेश पुत्र रामनिवास
   8/2–हंसराज पुत्र रामनिवास
   8/3–रामबिलास पुत्र रामनिवास
   8/4– मांगी बाई पुत्री रामनिवास
   8/5 – नाथी बाई पत्नी रामबिलास

   जातियान गुर्जर निवासीगण बीरोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

––अपीलांटगण

बनाम

1. नारायण पुत्र स्व० कान्हा
2. जुगराज पुत्र स्व० कान्हा
3. बृजमोहन पुत्र स्व० कान्हा
4. पप्पू लाल पुत्र स्व० कान्हा
5. सीताराम पुत्र स्व० कान्हा
6. रखलाल पुत्र स्व० भूरया
7. महावीर पुत्र स्व० भूरया
8. गिर्राज पुत्र मनफूल (फूलचंद)
9. देवीराम पुत्र मनफूल (फूलचंद)
10. अद्दूलाल पुत्र मनफूल (फूलचंद)
11. पप्पूलाल पुत्र मनफूल (फूलचंद)

12. जगदीश पुत्र मनफूल (फूलचंद)
13. अमृतलाल पुत्र मनफूल (फूलचंद)
14. राधेश्याम पुत्र मनफूल (फूलचंद)
15. रमेश पुत्र रामचन्द्र (फूलचंद)
16. रघुवीर पुत्र रामचन्द्र
17. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र
18. मुकेश पुत्र रामचन्द्र
    निवासीगण बीरोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राज०
19. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा, राज०

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री अशोक चौधरी, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 18 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.04.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ईटावा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 10/2016 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा के राजस्व रिकार्ड में खतौनी सं० 219 नयी पुरानी 94 की ख०न० 209 रकबा 1.20 है० एवं ख०न० 213 रकबा 1.62 है० कृषि आराजी स्थित है जिसमे ख.न. 213 रकबा 1.62 है० को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वर्णित कृषि आराजी ख०न० 213 रकबा 1.62 है० पर प्रार्थीगण अपने पूर्वज गंगाराम पुत्र मानजी गूर्जर निवासी बीरोदा सम्वत 2003 से लगातार काबिज काश्त है। वादीगण के पूर्वज स्व० गंगाराम द्वारा उक्त वर्णित कृषि आराजी 10 बीघा का तत्कालीन खातेदार भूरया पुत्र माधो गूजर से सम्पत 2002–03 में कय किया गया है। प्रार्थीगण के पूर्वज एवं उनके निधन के पश्चात से वादीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी 10 बीघा पर लगातार कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० गंगाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार को कई मर्तबा तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त विक्रय का पंजीयन करवाने बाबत निवेदन करने के उपरान्त भी तत्कालीन खातेदार

टालमटोल करते रहे और प्रार्थीगण के पास उक्त वर्णित कृषि आराजी के कब्जे संबंधी तथ्य को दर्शा कर शीघ्र पंजीयन करवाने का आश्वासन देते रहे। तत्कालीन खातेदार के स्वर्गवास के पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान खातेदारान से कई मर्तबा उक्त पंजीयन करवाने बाबत निवेदन किया गया किन्तु वर्तमान खातेदार भी उक्त राजस्व रिकार्ड को प्रार्थीगण के नाम अन्तरण करने बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया एवं प्रतिवादीगणो द्वारा बदयान्तिपूर्वक वादीगणो क विरुद्ध कब्जा वापसी हेतु प्रयास करने लग गये। इसी अनुसरण में वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगणो के विरूद्ध बेदखली का वाद माननीय न्यायालय एस०डी०ओ० कोटा के समक्ष प्रस्तुत कि गया। उक्त वाद में वर्तमान प्रार्थीगण का जबरन कब्जा वर्ष 1992 में दर्शा कर उनको बेदखली की प्रार्थना की गई किन्तु उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा विगत दिनांक 26.2.08 को खारिज फरमा दिया गया है। उक्त आदेश की आज दिनाक तक कोई अपील पुनरीक्षण अथवा पुर्नविलोपन नही किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रार्थीगण (वर्तमान अप्रार्थीगण) उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के स्वत्व व चुनोती देने एवं कब्जा वापसी की अवधि से निरर्हित विरुद्ध है। तदर्थ उक्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार कृषक घोषित करवाने योग्य है। प्रार्थीगण का राज टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व काल तक लगातार कब्जे काश्त होना एवं कथित खातेदारान का प्रार्थीगण से 4 वापसी का वाद खारिज किये जाने एवं कब्जा वापसी की कथित खातेदारी अधिकारो का अवमान हो चुका है एवं प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है। तदर्थ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। अप्रार्थीगणो द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का अनुचित एवं अनावश्यक अंकन का लाभ उठा कर अन्यत्र अन्तरण बेचान करने की धमकियों लगातार प्रदान करने एवं अन्तिम बार विगत दिनाक 2 वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वाद कारण लगातार उत्पन्न है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र जगह पर अन्तरण बेचान आदि कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रां मे मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा और अन्य वाद विवादो में उलझना पड़ेगा। अप्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस कारण ता फैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। ताकि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी को अन्य जगह पर खुर्द बुर्द नहीं करे। वादग्रस्त आराजी नयायालय श्रीमान के साधारण क्षेत्राधिकार मे होने से प्रार्थना पत्र का अवलोकन अधिकार क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र न्यायालय को प्राप्त होता है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहस प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्न आशय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि– वादग्रस्त आराजी वाके खेडली बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा की खतौनी सं० 219 नई ख०न० 213 रकबा 1.62 है० से अप्रार्थीगणो का नाम खारिज किया जाकर प्रार्थीगणो को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तदनुरूप अंकन करने हेतु अप्रार्थी कम 9

तहसीलदार पीपल्दा को जयें डिक्री आदेशित किया जावे। एवम् अप्रार्थीगणो को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगणो के स्वत्व एवं शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई अवरोध बाधा स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधि उत्पन्न नही करे यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र अन्तरण विकय आदि कर देवे तो उसे निरस्त कर दिये जाने बाबत भी आदेशित किया जावे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2024 को प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध माल ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा के खसरा नंबर 213 रकबा 1.62 हे0 भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 18 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 19 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 1 लगायत 18 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज न्यायालय के दस्तावेजों की प्रमाणित फोटोप्रतियां है जिन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में प्रार्थीगण रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज

प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है। अंत में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत वाद पत्र एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतियां पेश की गयी है। जिन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पो० ने अप्रार्थीगण अपीलांट के विरुद्ध एक वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०एक्ट के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम खेड़ली, बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा, के राजस्व रिकार्ड में खतोनी खंख्या 219 नई पुरानी 94 की खसरा नं 209 की रकबा 1.20 हे. एवं खसरा नं 213 की 1.62 हे० कृषि आराजी स्थित, जिसमे खसरा नं 213 रकबा 1.62 हे0 है, उक्त वर्णित आराजी खसरा नं 213 की रकबा 1.62 हेव पर रेस्पो. प्राथीगण अपने पूर्वजो गंगाराम पुत्र मान जी गुर्जर निवासी बीरोदा सम्वत 2003 से लगातार काबिज काश्त है, रेस्पो. प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. गंगाराम द्वारा उक्त वर्णित कृषि आराजी 10 बीघा का तत्कालीन खातेदार भूरया पुत्र माधो गुर्जर से सम्मत 2002–03 मे कयकिया गया है, प्रार्थीगण रेस्पो. के पूर्वज एवं उनके निधन के बाद से प्रार्थीगण रेस्पो. उक्त वर्णित कृषि आराजी 10 बीघा पर लगातार कब्जे काश्त चली आ रही है. प्रार्थीगण रेस्पो. के पूर्वज स्व. गंगाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार को कई बार तहसील कार्यालय मे उपस्थित होकर उक्त विकय का पंजीयन करवाने बाबत निवेदन करने के बाद भी तत्कालीन खातेदार टालमटोल करते रहे है, ओर प्रार्थीगण रेस्पो. के पास उक्त वर्णित कृषि आराजी के कब्जे संबंधी तथ्य को दर्शा कर शीघ्र पंजीयन करवाने का आश्वासन देते रहे है, तत्कालीन खातेदार के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण रेस्पो. द्वारा वर्तमान खातेदारान से कई मर्तबा उक्त पंजीयन करवाने बाबत निवेदन किया किंतु वर्तमान खातेदार भी उक्त राजस्व रेकार्ड को प्रार्थीगण रेस्पो. के नाम अंतरण करने बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया एवं अपीलांटो प्रतिवादीगण द्वाराबदनियती पूर्वक प्रार्थीगण रेस्पो. के विरूद्ध कब्जा वापसी हेतु प्रयास करने लग गये, इस हेतु अपीलांट की ओर से न्यायालय एस डी ओ कोटा के समक्ष बेदखली का वाद पेश

किया जो दिनांक 26.2.08 को खारिज कर दिया गया अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अनुचित वं अनावश्यक अंकन का लाभ उठाकर अन्यत्र अंतरण बेचान करने की धमकीया दी जा रही है, प्रार्थीगण रेस्पो. ने अपीलांट को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफेसला वाद उनके कृत्यो को रुकवाने जाने हेतु निवेदन किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलांट ने माननीय अधी. न्यायालय में जवाब पेश किया गया लेकिन अधी. न्यायालय ने अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र ओर उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यो की अनदेखी करते हुए अपने आदेश दिनांक 14.11.2024 से प्रार्थीगण रेस्पो, का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है, आदेश अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने की बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात कृषि भूमि अपीलांट स्वयं की भूमि है, जिस पर रेस्पो. द्वारा जबरन बलपूर्वक अनुचित व गैरकानूनी तरीके से नाजायज कब्जा किया जा रहा है, अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का बेचान व विक्रय नहीं किया जा रहा है, जिससे की ना तो रेस्पो. को कोई अपूर्णीय क्षति व मुद्रा का नुकसान होगा न ही कोई प्रथमदृष्टया मामला उनके पक्ष में है.न ही सुविधा संतुलन उनके पक्ष में है, रेस्पो. किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है, रेस्पो. द्वारा अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या व कुटरचित दस्तावेज की रचना कर कुटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग में लाते हुए माननीय अधी. न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, तथा रेस्पो. अपीलांट की अनुपस्थिति मे बिना अपीलांट की तलबी हुए उनकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा कीज कार्यवाही अधी. न्यायालय से करवा चुके है, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष रखने मे न्याय से वंचित होना पडा है, लेकिन अधी. न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी ए का स्वीकार कर आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो. का कोई प्रथमदृष्टया मामला नही बनता है, न ही सुविधा संतुलन उनके पक्ष में है,न ही उनको किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना ही है, फिर भी अधी. न्यायालय ने अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो की अनदेखी करते हुए उनका प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी स्वीकार कर आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की हे, जबकि प्रथमदृष्टया मामला रेस्पो. की अपेक्षा अपीलांट के पक्ष मे है, सुविधा संतुलन उनके पक्ष में है, तथा अपीलांट को ही अपार क्षति होने की संभावना है, फिर अधी. न्यायालय ने तथ्यो को नजरअंदाज किया है, ओर अपीलीय जैर आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो. द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए फर्जी दस्तावेज माननीय यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि 78 वर्ष पुराना बना हुआ बताया गया है, जबकि उस पर हस्ताक्षर 25–26 वर्ष के गवाह शंकरलाल पुत्र महावीर के हो रहे है, दस्तावेज संवत 2003 का बनाना रेस्पो. द्वारा न्यायालय को बताया गया है, जबकि उस समय शंकरलाल का जन्म नहीं हुआ था इससे यह साबित हो जाता हैकि उक्त दस्तावेज फर्जी है, व न्यायालय को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया है। उक्त वर्णित कृषि आराजी खसरा नं 213 की रकबा 1.62 हे0 पर अपीलांट द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा कोटा से कृषि सुधार हेतु ट्रेक्टर/फसली ऋण आदि के लिए ऋण प्राप्त किया गया है, लेकिन रेस्पो. के

उक्त कृषि आराजी पर जबरन कब्जा करने के कारण अपीलांट उक्त कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है, ओर ना ही उक्त ऋण चुकापा रहे है. इस कारण उक्त वर्णित बैंक पंजाब नॅशनल बैंक शाखा इटावा द्वारा उक्त ऋण को लेकर अपीलांट के विरूद्ध माननीय न्यायाय के समक्ष राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय रोडा एक्ट के तहत कुर्क व नीलामी की कार्यवाही कर दी है. जिसका नोटिस भी पत्रावली के साथ संलग्न है, इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त वर्णित कृषि आराजी अपीलांट की है, व उस पर उक्त ऋण भी बकाया है। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पटवार मंडल जोरावरपुरा की मोका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र से यह भी यह सिद्ध हो रहा है कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नं 213 की रकबा 1.62 हे. अपीलांट के नाम ही राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है. इस बात को स्वयं रेस्पो. स्वीकार कर चुके है। रेस्पो.के उक्त जबरन अवेध कब्जे के संबंध में अपीलांट द्वारा एक मामला जरिये परिवाद पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को देकर रेस्पो. के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है, जिसकी एफआईआर नं 0213/दिनांक 12.11.2020 की प्रति संलग्न है, जो इस मामले मे आगामी कार्यवाही माननीय न्यायालय न्यायिक मजि. इटावा जिला कोटा में चल रही है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 18 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण सम्वत् 2003 मे वादीगण के पूर्वज स्व. गंगाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार (अपीलांटगण के पूर्वज) भूरया पुत्र माधो गुजर से सम्वत् 2002–03 मे क्रय किया गया है उक्त कृषि आराजी वर्ष 2003 से निर्बाध रूप से आज दिनांक तक भी वर्तमान वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। तत्कालीन विक्रेता एवं केतागण के अल्प शिक्षित होने वश उक्त विक्रय का पंजीयन नही हो पाया ओर भूमि पर काश्त वादीगण की करते आ रहे है। अपीलांटगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थी वादीगणो के विरूद्ध के लिये वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे वर्तमान वादीगण का कब्जा वर्ष 1992 से दर्शित किया गया है, किन्तु उक्त वाद भी विगत् दिनांक 26.02.2008 को माननीय न्यायालय द्वारा नो इन्सक्शन प्लीड के आधार पर खारिज फरमा दिया गया है। प्रतिपक्षीगण के अभिवचनो के के आधार पर भी वादीगण का निर्बाध कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि पर स्थित है। इसी अनुकम मे विगत् दिनांक 09.01.2012 को तहसीलदार महोदय, पीपल्दा द्वारा निदेर्शित किया जाकर पटवारी हल्का जोरावरपुरा की मौका रिपोर्ट द्वारा पटवार हल्का रिपोर्ट के मुताबिक खसरा संख्या 213 पर ग्राम वासियान की रिपोर्ट मुताबिक कब्जा काश्त वर्तमान वादीगण का दर्शित किया गया है कि अपीलांटगण द्वारा वर्तमान वाद पत्र एव प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत जवाब मे भी वर्तमान वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा माना हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा सम्बन्धी तथ्य निर्विवादित रूप से सिद्ध है। तत्कालीन गिरदावरी रिपोर्ट पटवारी रिपोर्ट, प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं वर्तमान वाद पत्र मे प्रस्तुत जवाब दावे द्वारा वर्तमान वादीगण का विवादित भूमि पर स्पष्टतया कब्जा सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी पर पिछले 70 से भी अधिक वर्षों से काबिज काश्त है एवं

वादीगण का कब्जा निर्विवादित रूप से काबिज काश्त है, ऐसी स्थिति मे यदि राजस्व रिकॉर्ड की आड मे अपीलांटगण लाभ उठाकर अन्यत्र अन्तरण करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि से वचिंत होना पड जावेंगा एवं कई प्रकार की मुकदमेबाजी मे उलझना पड जावेंगा। अपीलांटगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में निहित है। चूकि विवादित कृषि भूमि पर सम्वत् 2003 से वर्तमान प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण एवं उनके पूर्वजो का अनवरत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, एवं उक्त कब्जे को अपीलांटगण द्वारा भी अपने अभिवचनो द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति मे अस्थायी निषेद्याज्ञा के नियमित जारी नही होने एवं विपरित आदेश की दशा में प्रार्थीगण को ही अपूर्णिय क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजी के कब्जेधारी कृषकगण है, अनवरत रूप से काबिज काश्त है, बाई आपरेशन ऑफ लॉ के मुताबिक भी प्रार्थीगण एडवर्ज पजेशन धारक है, अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के ही पक्ष मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य हे। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 219 की खसरा सख्या 213 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज स्वर्गीय गंगाराम द्वारा सम्वत् 2002–03 में खरीद की गई है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2003 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण अपीलांटगण के खाते की भूमि है तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन नाजायज रूप से कब्जा करने हेतु प्रयासरत है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटगण ने अपने कथनों के समर्थन में खाता पास बुक, कोटा रियासतकालीन स्टाम्प, जमाबंदी, बिजली बिल, कुर्की आदेश आदि प्रस्तुत किए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 213 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अपीलांटगण का यह कथन सही है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के खाते की भूमि है तथा अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि में

अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर उभयपक्षकारान के कथित कब्जे काश्त के सम्बंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विवेचन करने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। स्वयं के कब्जे काश्त के समर्थन में अपीलांटगण का कथन है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि बैंक में रहन रखी जाकर ऋण प्राप्त किया गया है जिससे अपीलांटगण का कब्जा होना प्रमाणित होता है। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा कब्जे की रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा प्रमाणित होने के पश्चात ही बैंक द्वारा अपीलांटगण को ऋण स्वीकृति किए जाने का अंकन हो। अतः केवल बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता। जहां तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त होने का प्रश्न है तो इसके समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से पटवार मण्डल जोरावरपुरा द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2012 प्रस्तुत की है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2012 में कान्हा पुत्र हरजी तथा उससे पूर्व हरजी पुत्र मानजी द्वारा काश्त किए जाने का अंकन है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। अतः मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2012 से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का उनके पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ वादीगण प्रहलाद, सुरजन तथा लड्डू द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा में प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की गई है। इस वाद में भी अपीलांटगण के पिता सुरजन, प्रहलाद एवं लड्डू द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 213 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण कान्हा, फूलचन्द, रामचन्द्र के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत बेदखली के वाद की चरण संख्या 2 इस प्रकार है– "यह कि उक्त आराजी में से ख0नं0 213 की आराजी क्षेत्रफल 1.62 है0 पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने दिनांक 23–05–92 से जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा जब वादीगण अपने खाते की उक्त आराजी से कब्जा हटाने को कहते है तो ये लोग मारपीट करने पर आमादा हो जाते है।" अतः प्रश्नगत बैदखली के वाद में भी अपीलांटगण अप्रार्थीगण के पिता वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। अतः अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रश्नगत बेदखली के वाद से भी वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। प्रश्गनत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें कब्जे काश्त के आधार पर ही प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाता है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार

निहित होने का कथन किया है। हमारे मत में प्रश्नगत अपंजीकृत दस्तावेज के अधार पर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण रेस्पोन्डेन्टगण के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत होना शेष है। उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े अतः विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.11.2024 में अप्रार्थीगण अपीलांटगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का जो आदेश अंकित किया गया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा , जिला कोटा के प्रकरण संख्या 10/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2024 यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला काटा को निर्देशित किया जाता है कि वह मुल प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का अंतिम रूप से शीघ्र निस्तारण करे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा